




फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
इण्डिया वुल्स हाउसिंग फाईनेन्स लि. बनाम आश्रय ड्रीम इन्फ्राहाईट्स प्रा. लि.
प्रकरण संख्या : 870/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.01.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय बैंक के अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी बैंक की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री कपिल कुमार कुमावत ने आपत्ति पेश की है। पत्रावली वास्ते जबाब बहस दिनांक 16.01.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	
16-01-23	<p>पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । धारा 14 के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अधूरा है। इसलिए धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र लौटाया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करे के लिए स्वतंत्र है । पत्रावली नम्बरसे कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	


23/1/23
महेश्वर खोसला (Adv)
R.P.